झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा
द्वादश (बजट) सत्र
वर्ग-02

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 10 माघ, 1939 (श0) को 30 जनवरी, 2018 (ई0) झारखण्ड विधान-सभा के आदेश-पत्र पर अंकित रहेंगे :-

क्र0 सं0	विभागों को भेजी गई सां0स0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
364.	उ0-34	श्री दुलू महतो	महिला महाविद्यालय खोलना।	उच्च एवं तकनीकी	20.1.18
365.	उ0-03	श्री योगेश्वर महतो	पढ़ाई शुरू कराना।	" "	09.1.18
366.	ट0-23	श्री अमित कुमार मंडल	राजकीय मेला घोषित करना।	पर्यटन, खेल कूद	18.1.18
367.	ज0-10	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	योजना का संचालन करना।	उच्च एवं तकनीकी	14.1.18
368.	शि0-58	प्रो0 जयप्रकाश वर्मा	मार्ग दर्शन प्रदान करना।	स्कूली शिक्षा	23.1.18
369.	व0-21	श्रीमती निर्मला प्रधान	प्रोसेसिंग यूनिट का स्थापना।	वन पर्यावरण	20.1.18
370.	ट0-06	श्री अनन्त कुमार ओझा	सौन्दर्यीकरण हेतु स्वीकृत कराना।	पर्यटन खेल-कूद	14.1.18

कृ0पृ030-

01	02	03	04	05	06
371.	पर्य0- 05	श्री शिवशंकर उराँव	मिनी स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन खेल-कूद	10.1.18
372.	पर्य0- 11	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	सुविधायें विकसीत करना।	पर्यटन खेल-कूद	14.1.18
373.	शि0-35	श्रीमती सीता सोरेन	शिक्षक की प्रतिनियुक्ति	स्कूली शिक्षा	21.1.18
374.	उत्त0-30	श्री अमित कुमार	वेतनमान का लाभ देना।	उच्च एवं तकनीकी	18.1.18
375.	शि0-28	प्रो0 स्टीफन मरांडी	उत्क्रमित करना।	स्कूली शिक्षा	14.1.18
376.	शि0-03	श्री फूलचंद मंडल	चाहरदिवारी का निर्माण।	" "	08.1.18
377.	शि0-50	श्री अमित कु0 मंडल	वेतन एवं एरियर का भुगतान।	" "	19.1.18
378.	उत्त0-25	श्री बिरंची नारायण	महिला विद्यालय की स्थापना।	उच्च एवं तकनीकी	16.1.18
379.	वन0-24	श्री हरिकृष्ण सिंह	कार्य मुक्त कर मुकदमा चलाना।	वन पर्यावरण	23.1.18
380.	शि0-51	श्रीमती निर्मला देवी	शिक्षक नियुक्त करना।	स्कूली शिक्षा	19.1.18
381.	उत्त0-21	श्री साधुचरण महतो	महिला कॉलेज की स्थापना।	" "	15.1.18
382.	शि0-08	श्री आलमगीर आलम	जलापूर्ति करना	" "	09.1.18
383.	उत्त0-36	श्री चम्पाई सोरेन	आरक्षण देना।	उच्च एवं तकनीकी	23.1.18
384.	उत्त0-32	श्री राधाकृष्ण किशोर	स्वतंत्र विभाग की स्थापना।	" "	20.1.18
385.	पर्य0-20	श्री अरूप चटर्जी	पर्यटन स्थल में विकसीत करना।	पर्यटन खेल-कूद	15.1.18
386.	वन-03	श्री रामकुमार पाहन	पूर्ण करना।	वन पर्यावरण	10.1.18

क्र0पृ030--

01	02	03	04	05	06
387.	उ0-18	प्रो0 स्टीफन मरांडी	स्थानान्तरित करना।	उच्च एवं तकनीकी	14.1.18
388.	व0-20	श्री नागेन्द्र महतो	मुआवजा एवं सुविधा देना।	वन एवं पर्यावरण	20.1.18
389.	उ0-33	श्री दुलू महतो	पढ़ाई प्रारंभ कराना।	उच्च एवं तकनीकी	20.1.18
390.	शि0-53	श्री दशरथ गागराई	मानदेय देना	स्कूली शिक्षा	20.1.18
391.	प0-16	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	पार्क का निर्माण	पर्यटन खेल-कूद	15.1.18
392.	व0-06	श्रीमती गीता कोड़ा	कब्जा से मुक्त कराना।	वन पर्यावरण	14.1.18
393.	व0-19	डॉ0 इरफान अंसारी	जाँच कर कार्रवाई करना।	" "	20.1.18
394.	उ0-11	श्रीमती गंगोत्री कुजूर	जाँच कराना।	उच्च एवं तकनीकी	14.1.18
395.	सू0-01	श्री निर्भय कुमार शाहाबादी	सेवा सुनिश्चित करना।	सूचना प्रौद्योगिकी	19.1.18
396.	प0-31	श्री कुणाल षड़ंगी	पथ का निर्माण	पर्यटन खेल-कूद	23.1.18
397.	उ0-28	श्री दशरथ गागराई	शिक्षकों का पदस्थापन	उच्च एवं तकनीकी	18.1.18
398.	व0-08	श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन	विकास कराना।	वन पर्यावरण	16.1.18
399.	उ0-26	श्री प्रदीप यादव	दोषियों पर कार्रवाई	उच्च एवं तकनीकी	16.1.18
400.	प0-22	श्रीमती निर्मला देवी	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन खेल-कूद	18.1.18
401.	व0-22	श्री नागेन्द्र महतो	वन प्रमंडलाधीन करना।	वन पर्यावरण।	20.1.18

कृ0पृ0उ0-

01	02	03	04	05	06
402.	शि0-20	श्री भानु प्रताप शाही	पेंशन/उपादान लागू कराना।	स्कूली शिक्षा	14.1.18
403.	टन0-24	श्रीमती बिमला प्रधान	पर्यटन स्थल विकसीत करना।	पर्यटन खेल-कूद	20.1.18
404.	शि0-49	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	कार्रवाई करना।	स्कूली शिक्षा	19.1.18
405.	उत0-29	श्री अमित कुमार	दोषी पर कार्रवाई	उच्च एवं तकनीकी	18.1.18
406.	शि0-25	श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता	परिणत करना।	स्कूली शिक्षा	14.1.18
407.	टन0-01	श्री फूलचन्द मंडल	निर्माण कार्य पूर्ण करना।	पर्यटन खेल-कूद	08.1.18
408.	टन0-27	श्री मनोज कुमार यादव	पर्यटन स्थल में विकसित करना।	पर्यटन खेल-कूद	20.1.18
409.	शि0-38	श्री योगेन्द्र प्रसाद	पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराना।	स्कूली शिक्षा	16.1.18
410.	शि0-45	श्री आलमगीर आलम	पढ़ाई नवनिर्मित भवन में कराना।	स्कूली शिक्षा	18.1.18
411.	टन0-26	श्री शशिभूषण समाइ	पर्यटन स्थल विकसीत कराना।	पर्यटन खेल-कूद	20.1.18
412.	टन0-17	श्री साधुचरण महतो	स्टेडियम के रूप में विकसित करना।	" "	15.1.18
413.	वन0-18	श्री प्रदीप यादव	वन भूमि को वापस लेना।	वन पर्यावरण	16.1.18
414.	टन0-09	श्री भानु प्रताप शाही	स्टेडियम का निर्माण।	पर्यटन खेल-कूद	14.1.18
415.	शि0-40	डॉ0 इरफान अंसारी	भुगतान करना।	स्कूली शिक्षा	16.1.18
416.	वन0-25	श्री चम्पाई सोरेन	कार्रवाई करना।	वन पर्यावरण	23.1.18

कृ0पृ030-

01	02	03	04	05	06
417.	पर्य0-28	श्री अनन्त कुमार ओझा	डॉलफिन वर्ल्ड सैंक्चुयरी की स्थापना	पर्यटन खेल-कूद	21.1.18
418.	शि0-34	श्री अरूप चटर्जी	विसंगतियों को दूर करना।	स्कूली शिक्षा	16.1.18
419.	शि0-48	श्री सत्येन्द्रनाथ तिवारी	साईकिल उपलब्ध कराना।	" "	19.1.18
420.	शि0-47	श्री मनीष जायसवाल	प्रोन्नति देना	स्कूली शिक्षा।	19.1.18
421.	पर्य0-03	श्री योगेश्वर महतो	खिलाड़ियों को नौकरी देना।	पर्यटन खेल-कूद	09.1.18

राँची
दिनांक- 30 जनवरी, 2018ई0।

विनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0-04/2015......1127......../वि0स0, राँची, दिनांक- 29/01/18

प्रति :- झारखण्ड विधान-सभा के माननीय सदस्यगण/ मा0 मुख्यमंत्री/ मा0 मंत्रिगण/ मा0 संसदीय कार्य मंत्री/ मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान-सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों के सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित।

(एस0 शिराज वजीह बंटी)
उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- प्रश्न-04/2015......1127......../वि0स0, राँची, दिनांक- 29/01/18

प्रति :- मा0 अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव (प्रश्न)/ संयुक्त सचिव (प्रश्न), झारखण्ड विधान-सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/ प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञाप सं0- झा0वि0स0-04/2015......1127......../वि0स0, राँची, दिनांक- 29/01/18

प्रति :- कार्यवाही शाखा/ आश्वासन समिति शाखा एवं वेबसाईट शाखा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप सचिव
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

निरंजन

364

श्री ढुलु महतो, स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-34

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बाघमारा क्षेत्र अन्तर्गत एक भी महिला महाविद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि बाघमारा एवं आसपास के छात्राओं को महिला महाविद्यालय में नामांकन हेतु जिला मुख्यालय जाना पड़ता है, जो कम-से-कम 25-30 कि0मी0 की दूरी पर है;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि अत्यधिक दूरी के कारण छात्राओं को आने-जाने में काफी परेशानी होती है, जिससे अधिकांश छात्राएँ बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती है;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बाघमारा में महिला महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के जिन जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं है, वहाँ महिला महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय है। बाघमारा, धनबाद जिलान्तर्गत है। धनबाद जिला मुख्यालय में अंगीभूत एस0एस0एल0एन0टी0 महिला महाविद्यालय एवं सम्बद्धता प्राप्त बी0एस0एस0 महिला कॉलेज, धनबाद तथा डी0ए0भी0 महिला महाविद्यालय, कतरासगढ़ संचालित है। इसके अतिरिक्त सम्बद्धता प्राप्त बाघमारा महाविद्यालय, बाघमारा में भी छात्राओं के लिए डिग्री स्तर पर शिक्षण की व्यवस्था है। प्रखण्ड स्तर पर महिला महाविद्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा विदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-38/2018 226 राँची दिनांक- 29.01.2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-891 दिनांक-20.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

365

श्री योगेश्वर महतो, स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-03

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के बेरमो प्रखण्ड में संचालित के0बी0 कॉलेज, बेरमो में स्नातकोत्तर (PG) की पढ़ाई हेतु आधारभूत संरचना मौजूद है, जहाँ बिहार सरकार के आदेश से वर्ष 1988-90 में स्नातकोत्तर की पढ़ाई शुरू की गई थी, जिसे झारखण्ड सरकार ने शिक्षकों की कमी का कारण बताकर वर्ष 2002-04 में बंद कर दिया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि बेरमो अनुमंडल के आर्थिक रूप से पिछड़े प्रखण्ड बेरमो, गोमिया, जरीडीह, चंदनपुरा एवं कसमार में एक भी शिक्षण संस्थान नहीं है, जहाँ स्नातकोत्तर की पढ़ाई होती है, परिणामतः उक्त प्रखण्डों के ग्रामीण आबादी के अधिकांश निम्न आय वाले परिवार के बच्चे/बच्चियाँ उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाते हैं;	अस्वीकारात्मक है। सत्र 2017-18 से के0बी0 कॉलेज, बेरमो में वाणिज्य विषय में स्नातकोत्तर की पढ़ाई प्रारंभ है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार के0बी0 कॉलेज, बेरमो में पुनः स्नातकोत्तर की पढ़ाई इसी शिक्षण इसी शिक्षण सत्र से शुरू करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कॉडिका में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 5 / वि0स0-04 / 2018 209 / राँची दिनांक- 29.01.2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-99 दिनांक-09.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(366)

श्री अमित कुमार मंडल, स०वि०स० द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या टन–23 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिला के बसंतराय पोखर में प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को 200 वर्षों से लगातार फसल की तैयारी के अवसर पर खास कर आदिवासी समाज का एक प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में है जहाँ मेला का आयोजन होता है;	1.	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पत्रांक–152, दिनांक–11.08.2017 के द्वारा उपायुक्त, गोड्डा से एतद् संबंधी प्राप्त प्रस्ताव एवं उसमें कतिपय त्रुटियों का निराकरण के पश्चात किसी भी मेला/महोत्सव घोषित करने हेतु गठित नियमावली के अंकित प्रावधानों के आलोक में प्रस्ताव राज्य पर्यटन संवर्धन समिति (S.T.P.C) के समक्ष विचारार्थ रखा गया है;	2.	आंशिक स्वीकारात्मक जिला पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा के अनुशंसा के आलोक में उपायुक्त, गोड्डा द्वारा उक्त मेला को राजकीय घोषित करने हेतु प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है, जिस पर अभी राज्य पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा विचार नहीं किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 के आलोक में बसंतराय पोखर मेला को राजकीय मेला घोषित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	राज्य पर्यटन संवर्धन समिति द्वारा विचारोपरांत इस समिति के अनुशंसा अनुसार प्रश्नाधीन मेला को राजकीय घोषित करने के बिन्दु पर निर्णय लेना संभव हो सकेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/25/2018 147 /राँची, दिनांक 22/01/2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–765/वि०स०, दिनांक–18/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

367

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या–उत–10

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में विश्वविद्यालयों, कॉलेजों में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए विश्वविद्यालय महिला बस सेवा योजना का संचालन आरंभ नहीं हो सका है;	स्वीकारात्मक है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्राओं को यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु महिला बस सेवा योजना चालू करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए सभी विश्वविद्यालयों को निविदा आमंत्रित कर बस सुविधा उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया था। विश्वविद्यालयों द्वारा निविदा आमंत्रित भी की गयी, किन्तु निविदा के विरुद्ध किसी भी बस ऑपरेटर/फर्म द्वारा निविदा में भाग नहीं लिया गया। फलतः इस योजना का संचालन नहीं हो सका है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में योजना प्रारंभ करने के लिए 15 नवम्बर, 2017 की तिथि तय कर ली गयी थी;	स्वीकारात्मक है।
3.	क्या यह बात सही है कि ग्रामीण और सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आने वाली छात्राओं को बस सेवा योजना आरंभ नहीं होने से आर्थिक स्तर पर नुकसान और समय की क्षति हो रही है;	स्वीकारात्मक है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार छात्राओं के लिए महिला बस सेवा योजना का संचालन करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	सरकार छात्राओं के लिए महिला बस सेवा संचालन का विचार रखती है तथा इसे अविलम्ब चालू करने का प्रयास किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1 / वि0स0–15 / 2018 215 / रांची दिनांक– 29.01.2018 /

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक–421 दिनांक–14.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

368

300
29/01/2018

प्रो० जय प्रकाश वर्मा, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-58

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि T.T.P.S. सरना इन्टर महाविद्यालय ललपनियां, बोकारो में सन् 2002 से TVNL द्वारा प्रदान की गई 5 (पांच) एकड़ भूमि एवं पर्याप्त भवन में संचालित है, एवं TVNL ने इस महाविद्यालय को JAC से स्थापना अनुमति प्राप्त करने हेतु अनापत्ती पत्र, पत्रांक-36 दिनांक 06.05.2014 दिया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ललपनियां 12 पंचायतों के 1 (एक) लाख आबादी वाला क्षेत्र है जहां पर ST, SC और OBC की बाहुलता है तथा इस बड़ी आबादी वालों के लिए इस महाविद्यालय के अलावा दूसरा इन्टर महाविद्यालय व +2 उच्च विद्यालय नहीं है;	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि डी. ए.वी. ललपनिया संचालित है।
3	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची ने इस महाविद्यालय को स्थापना अनुमति प्रदान करने हेतु ज्ञापांक-JAC/कॉ०स्था0/10-6613/2017 दिनांक 09.11.2017 के द्वारा निदेशालय से मार्गदर्शन मांगा है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ST, SC और OBC के बच्चों की उच्चतर शिक्षा हेतु T.T.P.S. सरना इन्टर महाविद्यालय, ललपनियां, बोकारो को स्थापना अनुमति प्रदान करने हेतु JAC को उचित मार्गदर्शन प्रदान करने की मंशा रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	गैर सरकारी इंटर महाविद्यालयों को झारखण्ड इंटरमीडिएट महाविद्यालय स्थापना अनुमति एवं प्रस्वीकृति (शर्त एवं बंधेज) नियमावली, 2005 एवं अनुवर्ती संशोधन नियमावली, 2006 के तहत् स्थापना अनुमति के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई जैक द्वारा किया जाना है।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-55/2018 300 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

369

श्रीमती विमला प्रधान, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–21 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा 28 % वन अच्छादित क्षेत्र है एवं उड़ीसा/छत्तीसगढ़ के सीमा से जुड़ा है ;	स्वीकारात्मक
(2) क्या यह बात सही है कि यहाँ पर कई तरह के वन उत्पाद जैसे इमली, चिरौंजी, महुआ, लाह, कुसुम, डोरी इत्यादि का भारी पैमाने पर उत्पादन होता है ;	स्वीकारात्मक
(3) क्या यह बात सही है कि सिमडेगा में एक भी प्रोसेसिंग युनिट नहीं होने के कारण स्थानीय जनता को अपने उपज का वास्तविक मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता है और कम दाम में दुसरे स्थानों पर मजबुरी में बिक्री को बाध्य होना पड़ता है ;	झारखण्ड राज्य में सभी लघु वनोपज नियंत्रण से मुक्त है। ग्रामीण लघु वन उपज खुले बाजार में बिक्री करने के लिए स्वतंत्र है। ग्रामीणों को लघु वन उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करने के लिए कुल–24 लघु वन उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है जिसके लिए राज्य में कल्याण विभाग नोडल विभाग है। न्यूनतम मूल्य पर लाह एवं अन्य लघु वन उपज के आहरण हेतु झाम्फकोफेड, झारकोलैम्पफ एवं झारखण्ड राज्य वन विकास निगम लिमिटेड, राँची द्वारा यह कार्य किया जाना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लघु वन उपज के भुगतान करने के लिए MD, Tribal Co-operative Marketing Development Federation of India LTD (TRIFED), द्वारा आदिवासी कल्याण आयुक्त, झारखण्ड के साथ MOU भी किया गया है। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (सहकारिता प्रभाग) से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य की शीर्ष सहकारी संघ झाम्फकोफेड के देख–रेख में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं राज्य योजना, 2016–17 के द्वारा सिमडेगा में निम्नांकित 8 (आठ) प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की गई है जो कार्यान्वित है :–

स्थान	समिति/SHGs का नाम	प्रोसेसिंग यूनिट का नाम
सिमडेगा	सिमडेगा महिला विकास समिति	इमली
अधरना	अधरना लैम्पस लि0	इमली
टसेरा गलाघटोली, कोलेबिरा	टसेरा गलाघटोली लैम्पस लि0	इमली
बीरू	बीरू लैम्पस लि0	चिरौंजी
कोलेबिरा	ग्रामीण वनोत्पादक स0सलि0	चिरौंजी
सिमडेगा	समेकित कृषि विकास स0सलि0	चिरौंजी
बानो	बरखा आजीविका स्वयं सहायता समूह	इमली
कोनपाला ठेठाईटांगर	चमेली आजीविका स्वयं सहायता समूह	इमली

(4) यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वन उपजो के लिए प्रोसेसिंग युनिट की स्थापना सिमडेगा में करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कडिका–3 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–31/2018 423 व०प०, राँची, दिनांक– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–894 दिनांक–20.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/01/2018

(आलोक कुमार)

सरकार के उप सचिव

370

श्री अनन्त कुमार ओझा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–06 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज का राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा किनारे अवस्थित होने के साथ ही पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर से प्रिपूर्ण है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा किनारे अवस्थित है तथा राजमहल स्थित जामी मस्जिद ऐतिहासिक स्थल है।
2.	क्या यह बात सही है कि जिला के प्रखण्ड उधवा अन्तर्गत उद्धव मुनि आश्रम, विश्व प्रसिद्ध पक्षी अभ्यारण्य पतौड़ा झील, राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत कन्हैया स्थान, कटघर स्थित शिव मंदिर एवं कटघर फॉसिल्स स्थल तथा साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत पुरातात्विक धरोहर तेलियागढ़ी का किला, मोतीझरना का सौन्दर्यीकरण नही होने के कारण पर्यटकों का असुविधा हो रही है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत उद्धव मुनि आश्रम, पक्षी अभ्यारण्य पतौड़ा झील, राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत कन्हैया स्थान, कटघर स्थित शिव मंदिर तथा साहेबगंज सदर प्रखण्ड अन्तर्गत पुरातात्विक धरोहर तेलियागढ़ी का किला, मोतीझरना स्थित है, ये सभी स्थल स्थानीय तथा अंतर जिला स्तर का पर्यटन स्थल है। पक्षी अभ्यारण्य पतौड़ा झील, एवं कटघर स्थित कटघर फॉसिल्स स्थल वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के नियंत्रण में है, कोई भी कार्य वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची से संपादित हो सकेगा। इस कार्यालय का पत्रांक 194, दिनांक 25.01.2018 द्वारा उक्त को लिखा गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला में पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु "गंगा सफारी" योजना हेतु प्रस्ताव तैयार नहीं किया है, जिसके कारण यहाँ के प्राकृतिक वातावरण के ओर पर्यटकों का आकर्षण का केन्द्र नही बन पाया है;	3.	**आंशिक स्वीकारात्मक** गंगा सफारी योजना हेतु विभाग में कोई प्रस्ताव व योजना नहीं है।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–2 में वर्णित स्थलों का निर्माण व सौन्दर्यीकरण तथा खण्ड–3 में उल्लिखित योजनाओं को पर्यटन के दृष्टिकोण से स्वीकृति दिलाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	4.	उधवा प्रखण्ड अन्तर्गत उद्धव मुनि आश्रम, पक्षी अभ्यारण्य पतौड़ा झील, राजमहल प्रखण्ड अन्तर्गत कन्हैया स्थान एवं मोतीझरना का सौन्दर्यीकरण पर्यटन विभाग का कार्य विधायक योजना मद से स्वीकृति एवं आवंटित राशि से सड़क, विश्रामगृह, शौचालय एवं बुनियादी सुविधा आदि का कार्य कराया गया है। प्रश्नाधीन अन्य स्थानीय पर्यटक स्थलों का प्राथमिकता के अनुसार सौन्दर्यीकरण इत्यादि का कार्य जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति को उपलब्ध निधि से समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा। विभाग में सीमित संसाधन को देखते हुए अभी गंगा सफारी योजना पर विचार करना संभव नहीं है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/06/2018 207 /राँची, दिनांक 27/01/2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–416/वि०स०, दिनांक–14/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

371

श्री शिवशंकर उरॉव, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 30.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–05 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री शिवशंकर उरॉव, मा० सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016–17 ई० में ग्रामीण स्तर के युवाओं खेलकूद में रूचि जगाने एवं प्रतिभावान खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए प्रखण्ड स्तर एवं पंचायत स्तर पर वृहत पैमाने पर मिनी स्टेडियम बनाने की योजना स्वीकृत किया था;	अस्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ऐसी स्वीकृति के बाद भी अबतक पूरे राज्य के प्रखण्ड स्तर पर नगण्य संख्या में ऐसे मिनी स्टेडियम का निर्माण कराया जा सका है;	लागू नहीं।
3	क्या यह बात सही है कि गुमला के डुमरी परमवीर अल्बर्ट एक्का जारी, चैनपुर, रायडीह और गुमला प्रखण्ड के मुरकुण्डा में ऐसे मिनी स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, परन्तु उसे अबतक नहीं बनाया गया है;	अस्वीकारात्मक। गुमला जिलान्तर्गत अल्बर्ट एक्का जारी एवं चैनपुर में प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम तथा रायडीह में बखतरसाय स्टेडियम पूर्व से निर्मित है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अपने निर्णय अनुरूप खंड–3 में उद्धृत गुमला जिला के मिनी स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका 1, 2 एवं 3 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–05/2018 203 / राँची, दिनांक 27.01.2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 152/वि०स० दिनांक 10.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

श्री कुशवाहा शिवपुजन मेहता, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–11 का प्रश्नोत्तर

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत कबराकला (हैदरनगर) दंगवर सूर्यमंदिर (हुसैनाबाद) एवं अररूआ पहाड़ी शिव मंदिर (हरिहरगंज), भीम चुल्हा (मोहम्मदगंज) सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा वर्णित स्थलों पर किसी भी प्रकार का कार्य पर्यटन विकास हेतु प्रारंभ नहीं किया गया है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** दंगवर–सूर्य मंदिर, हुसैनाबाद एवं अररूआ पहाड़ी शिव मंदिर, हरिहरगंज के पास शौचालय, पेयजल सुविधा तथा बेंच का निर्माण कराया जा रहा है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार लोकहित में उक्त पर्यटक स्थलों पर पर्यटकीय सुविधायें विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	प्रश्नाधीन सभी स्थल स्थानीय प्रकृति के पर्यटन स्थल है। वर्तमान में स्थल का पर्यटन संभावना अत्यल्प या नगन्य है। भविष्य में पर्यटकीय संभावना होने पर उक्त स्थल का सौन्दर्यीकरण इत्यादि का कार्य जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति को उपलब्ध निधि से समिति की अनुशंसा पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/11/2018......211....../राँची, दिनांक......27.01.2018....../

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–414/वि०स०, दिनांक–14/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियाँ सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

373

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्रीमती सीता सोरेन, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-65 35

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि दुमका जिलेके रामगढ़ प्रखण्ड अंतर्गत कस्तुरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय में 5 पाँच वर्षों से विज्ञान शिक्षक नहीं है, जिसकेकारण छात्राओं को पठन-पाठन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि कस्तुरबा गाँधी बालिका विद्यालय, रामगढ़ में कक्षा-6 से 8 तक के लिए स्वीकृत 5 पदों में से 4 पदों पर स्थायी शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें एक विज्ञान शिक्षक भी हैं। इसी प्रकार कक्षा-9 से 12 तक के लिए स्वीकृत 10 पदों पर अभी नियुक्ति नहीं हो सकी है किन्तु अंशकालिक (part time) शिक्षक के रूप में 8 शिक्षक कार्यरत हैं, जिसमें 2 शिक्षक एक भौतिकी एवं गणित तथा एक जीव विज्ञान एवं रसायन विज्ञान के है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में विज्ञान की शिक्षक प्रतिनियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

अवर सचिव
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/92-20/2018-295 राँची, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 929, दिनांक 21.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवर सचिव
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री अमित कुमार, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-30

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिला अन्तर्गत युनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठ (6th) वेतनमान देने का निर्णय वर्ष 2010 में हुआ था, जो अभी तक पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ है;	स्वीकारात्मक है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को छठ पुनरीक्षित वेतनमान देने का मामला विश्वविद्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य में सप्तम वेतनमान लागू हो चुका है, परन्तु उक्त शिक्षण संस्थान के कर्मियों को अभी तक सप्तम (7th) वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया है;	राज्य के विश्वविद्यालयों के शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों को सप्तम पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत नहीं किया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इन कर्मियों को छठे वेतनमान का लाभ पूर्ण रूप से देने के साथ ही सप्तम वेतनमान देने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स०-31/2018. 212 / रांची दिनांक- 29.01.2018 /

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-772 दिनांक-18.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

375

297
29/01/2018

प्रो० स्टीफन मराण्डी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि०-28

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ जिलान्तर्गत महेशपुर प्रखण्ड के पंचायत अरिकन्या में एक मध्य विद्यालय अवस्थित है;	स्वीकारात्मक। विद्यालय का नाम मध्य विद्यालय अरिकन्या है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय में लगभग 500 से ज्यादा छात्र-छात्राएं अध्ययनरत है, जिसमें छात्राओं की संख्या ज्यादा है;	वस्तुस्थिति यह है कि लगभग विभिन्न कक्षाओं में 420 छात्र नामांकित हैं। कक्षा-8 में कुल नामांकित छात्र 61 हैं।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त विद्यालय के इर्दगिर्द लगभग 20 कि०मी० की परिधि में कोई उच्च विद्यालय नहीं है जिससे अधिकांश छात्रों को खासकर छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रहना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक। लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उत्क्रमित उच्च विद्यालय, खांपुड़, महेशपुर है।
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के मद्देनजर उक्त विद्यालय को उत्क्रमित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत् निर्धारित मानक के अनुरूप प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति के पश्चात् कार्रवाई की जाती है।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-24/2018 297 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री फूलचन्द मंडल, स.वि.स. से प्राप्त तारंकित प्रश्न संख्या- शि.-03

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलाके बलियापुर प्रखण्ड अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुधिया, मध्य विद्यालय आमटाल, पलानी, बालिचिड़का, सालपतड़ा एवं खैरबनी में चाहरदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है;	वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय सालपतड़ा, प्रखण्ड बलियापुर में 258 मी. चहारदिवारी तथा उत्क्रमित उच्च विद्यालय दुधिया में पुराना चहारदिवारी है। मध्य विद्यालय आमटाल, पलानी, बालिचिड़का एवं खैरबनी में चहारदिवारी उपलब्ध नहीं है।
2.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलाके गोविन्दपुर प्रखण्ड अंतर्गत मध्य विद्यालय ऊपर अंकुरा, देवली, मुर्गाबनी, विराजपुर, महुबनी, सोनरिया, खड़काबाद मरियो, माचामहुल, जमडीहा, सरकारडीह, मटियाला, शहरपुरा, बरियो एवं खरनी में चाहरदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है;	वस्तुस्थिति यह है कि मध्य विद्यालय देवली में 350, मध्य विद्यालय मुर्गाबनी में 145 मी. तथा मध्य विद्यालय महुबनी में 310 मी., मध्य विद्यालय माचामहुल में 228 मी., मध्य विद्यालय जमडीहा में 275 मी. तथा मध्य विद्यालय मटियाला में 190 मी. चहारदिवारी उपलब्ध है। उपर अंकुरा, विराजपुर, सोनरिया, खड़काबाद, मरियो, सरकारडीह, शहरपुरा, बरियो तथा खरनी में चाहरदीवारी उपलब्ध नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के चाहरदीवारी का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	भारत सरकार द्वारा चहारदिवारी निर्माण हेतु राशि नहीं दी जा रही है। राज्य में 38 हजार के करीब सरकारी विद्यालय हैं। सभी विद्यालय का एक साथ चहारदिवारी करना संभव नहीं है। स्थानीय स्तर पर प्रयास करना श्रेयस्कर होगा।

सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/972-19/2018-286 / राँची, दिनांक 29/11/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 45, दिनांक 08.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

377

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री अमित कुमार मंडल, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-50 (26)

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि गोड्डा जिलान्तर्गत सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड में पदस्थापित 44 शिक्षकों का वेतन माह नवम्बर एवं दिसम्बर 2017 से बंद है;	वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक 25.01.2018 को 41 शिक्षकों का वेतन निकासी की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड आदिवासी बाहुल्य के 44 शिक्षकों को क्रिसमस, सोहराय एवं मकर संक्रांति जैसे पूर्व में भी वेतन का भुगतान नहीं हो पाया;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड में पदस्थापित शिक्षकों को सातवाँ वेतन लागू हो गया है और सुन्दरपहाड़ी प्रखण्ड को छोड़कर जिलेके सभी प्रखण्डों में बढ़ोतरी वेतनमान शिक्षकों को मिल रहा हैए जबकि जिले में वेतन एवं ऐरियर भुगतान हेतु आवंटन प्राप्त है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्राप्त सूचना के अनुसार कोषागार में विपत्र निष्पादनार्थ समर्पित है।
4.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों को समय सीमा पर वेतन व ऐरियर का भुगतान नहीं मिलने के कारण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है;	वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी भुगतान में विलंब हेतु प्रथम दृष्टिया दोषी पाये गये हैं, जिसके आलोक में उनको कार्य मुक्त करते हुए विभागीय कार्यवाही के अधीन करने का आदेश दिया गया है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सुन्दरपहाड़ी के 44 शिक्षकों के रूके वेतन व ऐरियर का भुगतान करने की विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट की जा चुकी है।

अ.कु.सिंह 29/1/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/9 2-25/2018-292 राँची, दिनांक 29/1.] 2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 824, दिनांक 19.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलिहै 29/1/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री बिरंची नारायण, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-25

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि कुलसचिव, विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने दिनांक-07.06.2014 को उपायुक्त, बोकारो को पत्र के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2014-15 में विश्वविद्यालय को राशि उपलब्ध कराने हेतु बजट में 6 करोड़ रूपये उपबंधित किये जाने की सूचना देते हुए यू0जी0सी0 के नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त अनुरोध के आलोक में जिला प्रशासन द्वारा दिनांक-09.10.2014 को ही ग्राम सभा कराकर ग्राम पंचायत सोनाबाद में महिला महाविद्यालय की स्थापना हेतु 10 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया गया है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। अपर समाहर्त्ता, बोकारो के पत्रांक-1530 दिनांक-15.10.2014 द्वारा चन्द्रपुरा अंचल अन्तर्गत दुग्धा गाँव में 10 एकड़ भूमि के भू-हस्तांतरण हेतु अभिलेख, आयुक्त के सचिव, उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग को उपलब्ध कराया गया था।
3.	क्या यह बात सही है कि उक्त महिला महाविद्यालय का निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं कराया गया है;	राज्य सरकार द्वारा कालान्तर में जिन जिलों में महिला महाविद्यालय नहीं है, वहाँ महिला महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। बोकारो जिला में बोकारो महिला महाविद्यालय, बोकारो पूर्व से संचालित है, इस कारण वहाँ महिला महाविद्यालय के निर्माण का निर्णय नहीं लिया गया।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार ग्राम पंचायत सोनाबाद में महिला महाविद्यालय की स्थापना करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका-3 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-29/2018..211......./ रांची दिनांक-..29.01.2018............/

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-677 दिनांक-16.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

379

श्री हरिकृष्ण सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–24 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि लातेहार जिला के बरवाडीह प्रखण्ड अन्तर्गत बेतला ग्राम की दिनांक–17.01.2018 को कजरी देवी, अनुपा कुमारी, सोमरी, सुलोचनी, बसमतिया आदि महिलाओं ने जलावन की लकड़ी लेने जंगल गई थी, इसी दौरान बेतला केड़ मार्ग पर मुड़कटी जंगल में इमामुद्दीन नामक ट्रेकर गार्ड ने दो महिलाओं के साथ मारपीट कर अशलील हरकते की ;	अस्वीकारात्मक। इमामुद्दीन नाम का कोई ट्रेकर बेतला में कार्यरत नही है। दिनांक–17.01.2018 को केड़ वन (मुडकटी जंगल) में इस तरह की कोई घटना की कोई सूचना वन विभाग को नही है।
(2) क्या यह बात सही है कि ग्रामीणों ने दुर्व्यवहार करने के आरोपी ट्रेकर गार्ड को कार्यमुक्त करने, आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए रेंजर कार्यालय के समक्ष दिनांक–17.01.2018 को प्रदर्शन किया ;	दिनांक–17.01.2018 को 40–50 की संख्या में ग्रामीणों द्वारा रेंज कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था। यह प्रदर्शन दिनांक–16.01.2018 को महिला वन कर्मियों द्वारा जप्त कुल्हाड़ी को वापस लौटाने एवं जंगलों से बिना रोक टोक जलावन की लकड़ी लाने देने की अनुमति हेतु किया गया था।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार ट्रेकर गार्ड इमामुद्दीन को कार्य मुक्त कर अपराधिक मुकदमा चलाने का विचार रखती है ; हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–1 एवं 2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–34/2018 416 व0प0, राँची, दि0– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1008 दिनांक–23.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(आलोक कुमार) 29/01/2018
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-1R V.K

380

296
29/01/2018

श्रीमती निर्मला देवी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-51

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत +2 हाई स्कूल समेत प्रखण्ड के सभी उत्क्रमित हाई स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी से छात्र-छात्राओं को शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार पर्याप्त संख्या में खण्ड-1 में वर्णित +2 विद्यालयों में शिक्षक नियुक्त करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में 17864 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन कर लिया गया है। साथ ही राज्य के +2 विद्यालयों के 3080 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों के रिक्त पदों हेतु झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर लिये गये हैं। प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ ही समुचित संख्या में शिक्षकों को पदस्थापित किया जा सकेगा।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(I)-49/2018 296 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

381

श्री साधुचरण महतो, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-21

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसावाँ जिला के चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र अन्तर्गत महिलाओं के उच्च शिक्षा हेतु एक भी महिला कॉलेज नहीं है, जिससे चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र के महिलाओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे क्षेत्र में महिलाओं के उच्च शिक्षा के स्तर पर अपेक्षाकृत सुधार नहीं हो पा रहा है;	अंशतः स्वीकारात्मक है। चाण्डिल अनुमण्डल अन्तर्गत अंगीभूत सिंहभूम महाविद्यालय, चाण्डिल में छात्राओं के लिए भी स्नातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था है। राज्य के वैसे जिले, जहाँ पूर्व से कोई भी डिग्री महिला महाविद्यालय संचालित नहीं है, उन जिलों में महिला डिग्री महाविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके आलोक में सरायकेला-खरसावाँ में एक महिला महाविद्यालय के निर्माण संबंधी योजना स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत् राजकीय महिला पोलिटेक्निक, खरसावाँ के भवन में महिला महाविद्यालय संचालित है। साथ ही सरायकेला खरसावाँ में एक मॉडल महाविद्यालय का निर्माण संबंधी योजना स्वीकृत है तथा निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके अतिरिक्त इच्छुक छात्राओं के लिए निकटवर्ती महिला महाविद्यालयों यथा-महिला कॉलेज, चाईबासा, द ग्रेजुएट स्कूल कॉलेज फॉर वीमेन्स, जमशेदपुर, जमशेदपुर वीमेन्स कॉलेज, जमशेदपुर आदि में स्नातक स्तर के शिक्षण की व्यवस्था है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार जनहित में चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्रान्तर्गत एक महिला कॉलेज की स्थापना करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में अनुमण्डल स्तर पर महिला महाविद्यालय खोले जाने का कोई निर्णय नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-21/2018 227 रांची दिनांक- 29.01.2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-605 दिनांक-15.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

382

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

मो. आलमगीर आलम, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-08

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलाके सरकारी विद्यालयों में मार्च 2017 तक निर्मित 315 शौचालयों में पानी के अभाव में शौचालय का उपयोग छात्र नहीं कर पा रहे हैं;	अस्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड एक में वर्णित शौचालय में सोलर पम्प से जलापूर्ति की योजना अब तक अधुरा है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के स्तर से शौचालय में सोलर पम्प से जलापूर्ति की कोई योजना नहीं है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार साहेबगंज एवं पाकुड़ जिलाके सरकारी विद्यालयों में मार्च 2017 तक निर्मित सभी शौचालयों में सोलर पम्प से जलापूर्ति करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य के सरकारी विद्यालयों के शौचालयों को सुचारू संचालन हेतु पर्याप्त जल व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

(हस्ताक्षर) 29/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/a2-02/2018- 296 / राँची, दिनांक 29/1/ 2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 109, दिनांक 09.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 29/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

384

श्री राधा कृष्ण किशोर, स०वि०स० द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-32

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची विश्वविद्यालय में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की नौ विषयों तथा विदेशी भाषाओं की पढ़ाई के लिए कोई स्वतंत्र विभाग स्थापित नहीं है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग कार्यरत है, जिसमें कुल 62 पदें स्वीकृत हैं। इस विभाग द्वारा विभिन्न जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई कराई जाती है।
2.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित विषयों की पढ़ाई के लिए राँची विश्वविद्यालय में स्वतंत्र विभाग की स्थापना करना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	राँची विश्वविद्यालय, राँची सहित अन्य विश्वविद्यालयों में भी जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के विभाग खोलने संबंधी पाँच बिन्दुओं पर feasibility report (व्यवहार्यता प्रतिवेदन) की मांग की गयी है। विश्वविद्यालयों से अपेक्षित प्रतिवेदन की प्राप्ति के पश्चात् समीक्षोपरांत नियमानुकूल निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स0–39/2018...219...... / राँची दिनांक-...29.01.2017.......... /

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-890 दिनांक-20.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–20 का प्रश्नोत्तर

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिलान्तर्गत केलियासोल प्रखण्ड सह निरसा अंचल अन्तर्गत पिन्ड्राहाट मौजा, लखीपुर मौजा तथा नोयाडीह मौजा में पहाड़ीनुमा, टीलानुमा तथा समतली मैदानी क्षेत्र मिलाकर इक्ठे एक 26 एकड़ का विस्तृत सरकारी भूमि है जिसका प्राकृतिक सौन्दर्य अत्यंत ही सुन्दर है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** जिला के अंतर्गत किसी भी स्थानीय पर्यटकीय स्थल को चिन्हित करने तथा उसे वर्गीकरण के आधार पर पर्यटन स्थल के रूप विकसित करने संबंधित निर्णय लेने का दायित्व जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति में निहित है। जिसमें मा० सांसद या विधायक भी सम्मलित है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त भूमि का विभागीय सर्वेक्षण कराते हुए इसे पूर्ण सुसजित कर इसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का विचार रखती, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	प्रश्नाधीन स्थल को पर्यटकीय स्थल के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति से अप्राप्त है। (जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति प्रश्नगत् मामले में निर्णय लेने के लिए प्राधिकृत है)

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/22/2018 206 /राँची, दिनांक 27/01/2018 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–602/वि०स०, दिनांक–15/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

Jharkhand tourism

श्री रामकुमार पाहन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या वन–03 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला के ओरमांझी प्रखण्ड अन्तर्गत भुसूर चटन पतरा को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने हेतु विभागीय आदेश के बाद वर्ष 2015 में शिलान्यास किया गया था जिसका निर्माण कार्य झारखण्ड पर्यटन विभाग के द्वारा किया जा रहा है लेकिन अभीतक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है, जिससे सालोभर आने वाले पर्यटकों को काफी परेशानी हो रही है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा PIDDC (Product Infrastructure Development for Destination and Circuits) योजनान्तर्गत राँची–सरायकेला–खरसावाँ–पूर्वी सिंहभूम मेगा सर्किट परियोजना अन्तर्गत प्रश्नाधीन स्थल पर पर्यटकीय विकास की स्वीकृति दी गयी थी तथा इसका कार्यान्वयन भारत पर्यटन विकास निगम लि० को सौंपा गया था। वर्ष 2015 में यह कार्य प्रारंभ किया गया था। भारत सरकार के पत्रांक–11 P&C(4)/2015-PT दिनांक 19.05.2016 द्वारा परियोजना बन्द कर दिये जाने के कारण उक्त स्थल पर निर्माण कार्य बन्द हो गया है।
2.	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त पर्यटक क्षेत्र को वित्तीय वर्ष–2018–19 में पूर्ण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	2.	पर्यटकीय संभावना के अनुसार जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति को उपलब्ध कराये गये अनाबद्ध निधि समिति के स्वीकृति उपरांत उक्त स्थल पर विकास कार्य संभव हो सकेगा। वित्तीय वर्ष–2016–17 राँची जिला को 1 (एक) करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/16/2018 210 /राँची, दिनांक 27/01/2018

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–145/वि०स०, दिनांक–10/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

मितेश

Jharkhand tourism

384

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा के द्वादश (बजट) सत्र में दिनांक 30.01.2018 को प्रो० स्टीफन मराण्डी, स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न सं० उत–18 का उत्तर प्रतिवेदन।

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि विभागीय संकल्प संख्या–2001 दिनांक 13.08.2015 के कंडिका–10 के अनुसार पोलिटेकनिक संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य का स्थानान्तरण 03 वर्ष की अवधि पूरी करने के पश्चात् ही किये जाने का प्रावधान है;	– स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है श्री कौशल किशोर सिन्हा प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, धनबाद सम्प्रति प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक निरसा में वर्ष 2002 से लगातर 16 वर्षों से धनबाद जिला में ही पदस्थापित है;	– स्वीकारात्मक
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में श्री सिन्हा को धनबाद जिला से बाहर स्थानान्तरित करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	– श्री कौशल किशोर सिन्हा, प्रभारी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक निरसा को विभागीय अधिसूचना सं0 1552 दिनांक 24.07.2017 द्वारा राजकीय पोलिटेकनिक धनबाद से राजकीय पोलिटेकनिक निरसा में स्थानान्तरित किया गया है।

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग
नेपालहाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक– 01उ0त0/वि0स0–02/18 - 125 /राँची, दिनांक– 20·01·18

प्रतिलिपि :–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 419 दिनांक 14.01.2018 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(सरकार के अवर–सचिव)

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–20 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विष्णुगढ़ प्रखंडाधीन पंचायत मड़मों में हाथियों के झुण्ड द्वारा उत्पात मचाये जाने से किसानों एवं आमनागरिकों को जान–माल की क्षति पहुँची है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हाथियों के उत्पात से पीड़ित किसानों एवं आमनागरिकों के परिजनों को अबतक किसी भी प्रकार का मुआवजा व अन्य सुविधायें नहीं दी गयी है ;	विष्णुगढ़ प्रखण्ड के अन्तर्गत मण्डरो पंचायत में हाथियों द्वारा कुल–11 एकड़ फसल को क्षति पहुँचाने, दो कच्चा मकान साधारण रूप से क्षतिग्रस्त करने तथा दो बैल के मारे जाने की सूचना प्राप्त हुई है। बैल मारे जाने के लिये विभागीय संकल्प संख्या–3906 दिनांक–18.09.2017 के आलोक में 20,000/–रूपये का भुगतान पीड़ित परिवार को कर दिया गया है। फसल क्षति एवं मकान क्षति के लिए मुआवजा राशि 1,09,100/–रूपये का भुगतान प्रक्रियान्तर्गत है। 10 फरवरी, 2018 तक मुआवजे का भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 एवं 2 में वर्णित विषय के आलोक में सरकार भुक्तभोगी किसानों एवं आमनागरिकों के परिजनों को मुआवजा एवं अन्य देय सुविधायें देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट की गई है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–30/2018 424 व0प0, राँची, दि0– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–893 दिनांक–20.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 29/01/2018
सरकार के उप सचिव

389

श्रीमती विमला प्रधान, स0वि0स0 द्वारा प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-35

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि 01.01.2006 से पूर्व Ph.D. की उपाधि प्राप्त महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों को UGC के नियमानुसार वेतन वृद्धि का लाभ मिल रहा था और 01.01.2006 के बाद राँची एवं राज्य के अन्य शिक्षकों को प्राप्त वेतन वृद्धि का लाभ बंद कर दिया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2006 से ही अन्य राज्यों में यह लाभ मिल रहा है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार Ph.D. उपाधि वाले शिक्षकों को वेतन वृद्धि का लाभ देना चाहती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	यू0जी0सी0 प्रावधानों के अनुरूप पी0एच0डी0 धारक व्याख्याताओं को अतिरिक्त वेतनवृद्धि का लाभ देने का मामला विभाग में विचाराधीन है। यू0जी0सी0 प्रावधानों के अनुरूप पी0एच0डी0 धारक व्याख्याताओं को अतिरिक्त वेतन वृद्धि का लाभ देने संबंधी प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा समीक्षा के पश्चात् दिए गए परामर्श के आलोक में विश्वविद्यालयों से प्रतिवेदन की मांग की गयी है। विश्वविद्यालयों से प्रतिवेदन प्राप्ति के पश्चात् समीक्षोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-36/2018 230 / राँची दिनांक- 29.01.2018 /

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक-964 दिनांक-21.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री दशरथ गागराई, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- वि.-53

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्यभर के विद्यालयों में कार्यरत रसोईया को मात्र 1500 रुपया मानदेय दिया जाता है;	स्वीकारात्मक। भारत सरकार से रुपये 600/- तथा राज्य सरकार द्वारा रुपये 900/- प्रति माह दिया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्यभर के विद्यालयों में कार्यरत संयोजिकाओं को किसी प्रकार का मानदेय नहीं दिया जाता है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि संयोजिका विद्यालय प्रबंधन समिति की सदस्य होती है। जिनकाअध्ययन विद्यालय में नामांकित छात्र-छात्राओं के माताओं में से ही किया जाता है। वे विद्यालय प्रबंधन हेतु स्वेच्छिक रुप से कार्य करती है। इसी के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना के संचालन हेतु संयोजिकास्वेच्छा से कार्य करती है। मानदेय का कोई प्रावधान नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि मीड-डे मील योजना के सफल संचालन में रसोईया/संयोजिकाओं अहम भूमिका रहता है,	स्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि मध्याह्न भोजन योजना का संचालन सरस्वती-वाहिनी संचालन समिति के द्वारा किया जाता है। पूर्ण स्थिति कंडिका-1 एवं 2 में स्पष्ट किया गया है।
4.	क्या यह बात सही है कि 1500 रुपया मानदेय देना किसी भी दृष्टिकोण से तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है,	वस्तुस्थिति यह है कि रुपये 1000/- प्रति माह का प्रावधान है। इसका वहन 60:40 केन्द्र:राज्य में किया जाता है। मध्याह्न भोजन योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें मात्र रसोईया-सह-सहायिका को केन्द्र सरकार के अंश के रूप में 600/- रुपये तथा राज्य सरकार के अंश के रूप में 400/- रुपये प्रति माह मानदेय देने का प्रावधान है। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 500/- (पाँच सौ) रुपये प्रति माह अतिरिक्त मानदेय भुगतान राज्य योजना मद से किया जाता है। इस तरह 1500/- रुपये प्रति माह भुगतान किया जाता है। शेष स्थिति कंडिका-01 में स्पष्ट है।
5.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रसोईया का मानदेय बढ़ोतरी करने एवं संयोजिकाओं को भी मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्डों में निहित है।

9/11/18

सरकार के अवर सचिव

Khurshid

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 17/वि2-06/2018-289 राँची, दिनांक......29/1/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 388, दिनांक 20.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अकुसिंह 29/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–16 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज ऐतिहासिक ग्राम में पर्यटकीय विकास की असीम संभावनाऐं है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है यहाँ सैलानियों को मनोरंजन के लिए हिरण पार्क अति आवश्यकता है;	2.	पर्यटन विभाग द्वारा मैक्लुस्कीगंज में पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण कराया गया है। उक्त भवन का Operation JTDC के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त मैक्लुस्कीगंज में पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Jharkhand Mega Tourist Circuit (Ranchi-Saraikela-Kharsawan-Purbi Singhbum Mega Circuit) के अन्तर्गत ITDC द्वारा खलारी पोंड में सीढ़ी, कियोस्क, पाथवे, मैक्लुस्कीगंज पोंड में सीढ़ी एवं रेलिंग तथा दुल्ली धार्मिक स्थल का विकास कार्य किया गया है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि मैक्लुस्कीगंज में अभी हिरण पार्क की स्थापना का प्रस्ताव नहीं है।
3.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज में कई ख्याति प्राप्त विद्यालय है, यहाँ के बच्चों का मनोरंजन को केन्द्र हिरण पार्क होगा;	3.	उपरोक्त खण्ड 2 में उत्तरित
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज में हिरण पार्क का निर्माण कराना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	उपरोक्त खण्ड 2 में उत्तरित

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/21/2018...222.../राँची, दिनांक 29/01/18/

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–603/वि०स०, दिनांक–15/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

392

श्रीमती गीता कोड़ा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–06 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखंड के कलाईया पंचायत पूरतीदिघिया गांव के 10 ग्रामीणों की रैयती जमीन पर वन विभाग द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है ;	अस्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित ग्रामीणों की रैयती जमीन पर कब्जा का मामला मुण्डा एवं वन विभाग के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में सही पाये गये थे ;	अस्वीकारात्मक। पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत जगन्नाथपुर प्रखण्ड के कलाईया पंचायत के पूरतीदिघिया गॉव में वन विभाग द्वारा वनभूमि का DGPS सर्वे कराकर सीमा स्तम्भ का निर्माण कार्य कराया गया है। वन क्षेत्र पदाधिकारी, नोवामुण्डी द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा DGPS सर्वे में ग्रामीणों की भूमि भी सम्मिलित होने का संदेह व्यक्त करने के कारण मुण्डा तथा ग्रामीणों के साथ वन पदाधिकारी की बैठक की गई थी, जिसमें सहमति बनी थी कि संयुक्त रूप से ग्रामीणों के समक्ष पुनः सर्वेक्षण कार्य कराया जाय।
(3) क्या यह बात सही है मामला प्रकाश में आने के बाद भी स्थानीय वन क्षेत्र पदाधिकारियों द्वारा अबतक अवैध रूप से कब्जा की गई रैयती जमीन की नापी नहीं की गई है ;	अस्वीकारात्मक। मुण्डा एवं संबंधित ग्रामीणों के समक्ष दिनांक–18.01.2018 को वन विभाग द्वारा पुनः सर्वेक्षण कराया गया एवं पाया गया कि वन विभाग द्वारा मानचित्र के अनुरूप वन सीमा के सही जगह पर सीमा स्तंभ लगाया गया।
(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित ग्रामीणों के जमीन को वन विभाग अवैध कब्जा से मुक्त करने का विचार रखती है, हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता है।

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–10/2018– 410 व0प0, राँची, दि०– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–417 दिनांक–14.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 29/1/2018
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-1R V.K

डा० इरफान अन्सारी, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित 393
प्रश्न संख्या–वन–19 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज–गोविंदपुर हाईवे सड़क के दोनो छोर वृक्षारोपण कार्य दो वर्ष पूर्व ही कराया जा चुका है;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा छः करोड़ खर्च किये जाने के बावजूद लक्ष्य का लगभग 40 प्रतिशत ही वृक्ष लग पाया है;	अस्वीकारात्मक। वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा साहेबगंज–गोविंदपुर पथतट वृक्षारोपण योजना वित्तीय वर्ष 2015–16 से सात वर्षीय योजना की स्वीकृति दी गई है। योजनानुसार साहेबगंज–गोविंदपुर हाईवे सड़क के दोनो तरफ के खाली स्थलों में (ग्रामों एवं निर्माणाधीन पुलों को छोड़कर) वित्तीय वर्ष 2016–17 से 2017–18 तक कुल 196.280 कि०मी० लम्बाई में लक्ष्य के अनुरुप कुल 3,92,560 पौधे लगाये गये हैं। इन वृक्षारोपणों का विभागीय प्रक्रियानुसार पौधों की माह अक्टूबर, 2017 में आकलन के अनुसार पौधों की उत्तरजीविता 90% से 99% है, जो संतोषजनक है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों ?	प्रश्न नही उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–29 / 2018– 414 व0प0, राँची, दि०– 29/01/18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–895 दिनांक–20.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 29/01/2018
सरकार के उप सचिव

VIDHAN SABHA-18 V.K

394

श्रीमती गंगोत्री कुजूर, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-11

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रज्ञान यूनिवर्सिटी द्वारा यूनिवर्सिटी खोले जाने के लिए राज्य सरकार के साथ एम0ओ0यू0 किया गया है;	आंशिक स्वीकारात्मक है। प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के तहत् किया गया है। प्रज्ञान फाउंडेशन के साथ दिनांक-17.02.2017 को Momentum Jharkhand के दौरान एम0ओ0यू0 किया गया।
2.	क्या यह बात सही है कि उक्त मामले में एम0ओ0यू0 से पूर्व या उसके पश्चात् यूनिवर्सिटी और उसके प्रबंधन के बारे में समुचित जाँच पड़ताल सक्षम पदाधिकारी द्वारा की गयी थी;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय की स्थापना मॉडल गाइडलाईन्स के प्रावधान के अनुरूप गठित समीक्षा समिति की समीक्षा एवं अनुशंसा के आलोक में प्रज्ञान इन्टरनेशनल विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 के अधीन की गयी है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस दिशा में जाँच कराने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिकाओं में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-16/2018..216...../ राँची दिनांक-..29.01.2018........./

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-420 दिनांक-14.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

(395)

श्री निर्भय कुमार, शाहाबादी, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न सुई–01 का उत्तर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में।

क्रम सं0	तारांकित प्रश्न	वांछित उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में सभी सरकारी वेबसाइट का संचालन NIC द्वारा किया जाता है जिसके रख–रखाव पर सरकार प्रतिवर्ष 5 (पांच) करोड़ रूपये राशि खर्च करती है जिससे राज्य की जनता की अनेक महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन प्रतिदिन होती है;	अस्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि वेबसाइट संचालन कम्पनी कर्मियों के लापरवाही के कारण 365 दिनों की तुलना में लगभग 200 दिन खराब ही रहती है, जिसके कारण खण्ड–01 में वर्णित कार्यों का निष्पादन नहीं होने के कारण लोगों को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	अस्वीकारात्मक
3	क्या यह बात सही है कि राज्य के परिवाहन, निबंधन, वाणिज्य–कर आदि विभागों के साथ–साथ सभी अंचल कार्यालयों में खण्ड–01 में वर्णित वेबसाइट के विगत 05 दिनों से पूरी तरह ठप रहने के कारण अनेक महत्वपूर्ण कार्य बाधित हो गई है;	अस्वीकारात्मक
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड–01 में वर्णित कम्पनी के संचालन से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए उक्त वेबसाइट की सेवा सुनिश्चित करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही, तो क्यों?	सरकार के सभी विभागों की वेबसाइट एवं ऑनलाइन सेवाओं को सुचारू रूप से कार्यरत रखने के लिए IT Infrastructure का विकास लगातार किया जाता है तथा समस्या होने पर त्वरित निराकरण कर सेवाओं को चालू किया जाता है।

झारखण्ड सरकार

सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग

झारखण्ड मंत्रालय, धुर्वा, रांची–4

ज्ञापांक: 314 दिनांक: 24/01/18

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप सं0 प्र0–853 वि0स0 दिनांक 19.01.18 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Umesh 24/1
(उमेश प्रसाद साहू)
निदेशक

ज्ञापांक: 314 दिनांक: 24/01/18

प्रतिलिपि: श्री अनुराग लकड़ा, अवर सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई–गवर्नेंस विभाग/सचिव के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि श्री लकड़ा OASYS के माध्यम से उत्तर सामग्री विधान सभा को ससमय उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

Umesh 24/1
निदेशक

श्री कुणाल षड़गी, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–31 का प्रश्नोत्तर

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एव युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले के बहरागोड़ा के मुटुरखाम पंचायत में सुवर्ण रेखा नदी के किनारे अवस्थित जालधोरा थान प्रसिद्ध देवी थान के साथ–साथ पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** यह देवी स्थल जो स्थानीय स्तर का पर्यटक स्थल है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्रति वर्ष हजारों की संख्या में दर्शनार्थी जालधोरा थान में पूजा और दर्शन करने आते है परन्तु 1000 मीटर पथ अत्यन्त उबड़–खाबड़ होने के कारण जालधोरा थान तक यातायात में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में जालधोरा थान का सौन्दर्यीकरण एवं यातायात के सुविधा के लिए 1000 मी० पथ को पी०सी०सी० पथ निर्माण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रश्नाधीन स्थल स्थानीय प्रकृति का पर्यटन स्थल है। स्थानीय स्तर के पर्यटन स्थलों का विकास जिला स्तरीय पर्यटन संवर्द्धन समिति द्वारा लिये गए निर्णय के आधार पर किया जाता है। इस हेतु Untied Fund के रूप 1 (एक) करोड़ की राशि विभाग द्वारा जिला का आवंटित की गई है। आवश्यकता के आधार पर जिला स्तरीय पर्यटन संवर्द्धन समिति सौन्दर्यीकरण तथा यातायात की सुविधा हेतु 1000 मी० पथ को पी०सी०सी० पथ निर्माण का निर्णय ले सकती है। जिला स्तर से प्रस्ताव आने पर विभागीय प्राथमिकता/बजट के आलोक में विचार किया जाएगा।

झारखण्ड सरकार
<u>पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,</u>

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/34/2018 209 /राँची, दिनांक 27/01/2018 /

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–1015/वि०स०, दिनांक–23/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव

जितेन्द्र

397

श्री दशरथ गागराई, स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-28

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि महिला कॉलेज, चाईबासा में शिक्षकों की कमी है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि शिक्षकों की कमी से पठन-पाठन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है;	अस्वीकारात्मक है। पठन-पाठन के सुचारु रूप से संचालन हेतु स्वीकृत पद के विरुद्ध रिक्त पदों पर संविदा पर घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की गयी है। रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति भी प्रक्रियाधीन है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार महिला कॉलेज, चाईबासा में शिक्षकों की पदस्थापन करने का विचार रखती है ? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि०स०-32/2018..213......../ राँची दिनांक-...29.01.2018.........../

प्रतिलिपि-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-770 दिनांक-18.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

398

श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टन, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या वन–08 का प्रश्नोत्तर

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि मैक्लुस्कीगंज विश्वविख्यात एंग्लोइंडियन ग्राम है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक मैक्लुस्कीगंज को राज्य का एंग्लोइंडियन ग्राम के रूप में जाना जाता है।
2.	क्या यह बात सही है यहाँ राज्य पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटकीय विकास नहीं किया गया है मैक्लुस्कीगंज में इको टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकीय विकास कराया जा सकता है;	2.	अस्वीकारात्मक पर्यटन विभाग द्वारा मैक्लुस्कीगंज में विभाग द्वारा एक पर्यटक सूचना केन्द्र का निर्माण कराया गया है। उक्त भवन का Operation JTDC के माध्यम से कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत Jharkhand Mega Tourist Circuit (Ranchi- Saraikela-Kharsawan-Purbi Singhbum Mega Circuit) के अन्तर्गत ITDC द्वारा खलारी पौंड, मैक्लुस्कीगंज पौंड तथा दुल्ली (मैक्लुस्कीगंज अन्तर्गत) का विकास कार्य किया गया है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार मैक्लुस्कीगंज इको में टूरिज्म के माध्यम से पर्यटकीय विकास कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	इको टूरिज्म पॉलिसी वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के क्षेत्राधीन है। अतः उत्तर विधान सभा सचिवालय को देने हेतु विभाग पत्रांक 201, दिनांक 27.01.2018 द्वारा वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग, झारखण्ड, राँची से अनुरोध किया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,
ज्ञापांक–पर्यटन / वि०स० / 39 / 2018 205 / राँची, दिनांक 27.01.2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–673 / वि०स०, दिनांक–16 / 01 / 2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव

विनोद

399

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-26

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि SKM University, Dumka के मात्र 1 वर्ष (मार्च, 2016 से अप्रैल 2017) की सुरक्षा में 60 लाख रुपये खर्च किया गया है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि सुरक्षा एजेंसी एवं विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों की मिली भगत से सुरक्षा के नाम पर पैसों का बंदरबांट हुआ है;	अस्वीकारात्मक है। सिदो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका का पत्रांक-44 दिनांक-19.01.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि सुरक्षा एजेन्सी का चयन खुली निविदा की प्रक्रिया के तहत् किया गया है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार जाँच कराकर दोषियों पर कार्रवाई करने का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	उत्तर उपर्युक्त कंडिका में सन्निहित है। वर्तमान में इस संबंध में कोई जाँच विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-28/2018...210......./ रांची दिनांक-....29.01.2018........./

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक 676 दिनांक-16.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29-1-18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

400

श्रीमती निर्मला देवी, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 30.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–22 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्रीमती निर्मला देवी, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत प्रखण्ड बड़कागाँव, पंचायत+ग्राम नापोखुर्द के खेल मैदान में स्टेडियम निर्माण नहीं होने से खिलाड़ियों को काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक स्वीकारात्मक। नापोखुर्द में विद्यालय के बगल में खेल का एक छोटा सा मैदान अवस्थित है। नापोखुर्द की दूरी बड़कागाँव प्रखण्ड से 08 कि०मी० है तथा वित्तीय वर्ष 2016–17 में विभाग द्वारा बड़कागाँव प्रखण्ड में एक प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।
2	क्या यह बात सही है कि खिलाड़ियों को 40 कि०मी० दूरी तय कर हजारीबाग स्टेडियम में खेलने के लिए आना पड़ता है, जिससे खिलाड़ियों का विकास नहीं हो पा रहा है;	आंशिक अस्वीकारात्मक। बड़कागाँव प्रखण्ड में, जो नापोखुई से 08 कि०मी० की दूरी पर है, एक प्रखण्ड स्तरीय स्टेडियम निर्माण की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2016–17 में प्रदान की जा चुकी है, जिसके निर्माण हो जाने से खिलाड़ियों को दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार नापोखुई मैदान में स्टेडियम निर्माण करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कण्डिका–1 एवं 2 में उत्तर सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–26/2018 204 / राँची, दिनांक 27.01.2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 766/वि०स० दिनांक 18.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

401

श्री नागेन्द्र महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–22 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया वन प्रक्षेत्र का कार्यक्षेत्र गिरिडीह जिला वन प्रमण्डलाधीन है ;	आंशिक स्वीकारात्मक। गिरिडीह जिलान्तर्गत सरिया नाम से कोई वन प्रक्षेत्र नहीं है, अपितु बगोदर वन प्रक्षेत्र (हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल) का मुख्यालय सरिया में अवस्थित है।
(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित वन प्रक्षेत्र का संचालन हजारीबाग वन प्रमण्डल अन्तर्गत होता है जिसके कारण लोगों को भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है ;	वनों के संरक्षण एवं उचित रख–रखाव के लिये वनों के क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय, सरिया में होना है या नही यह वन क्षेत्रों के पुर्नगठन की समीक्षा में ही स्पष्ट हो सकता है। इस प्रकार की समीक्षा समय–समय पर विभाग द्वारा की जाती है।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित वन प्रक्षेत्रों का संचालन गिरिडीह जिला वन प्रमंडलाधीन से कराने का विचार रखती है ; हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–32 / 2018– 415 व0प0, राँची, दि०– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–892 दिनांक–20.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/1/2018

(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

402

301
29/01/2018

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-20

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षा कर्मियों को पेंशन/उपादान की सुविधा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। महालेखाकार द्वारा इस संदर्भ में उठायी गयी आपत्ति के कारण अनुपालन नहीं हुआ है। इस क्रम में कतिपय सेवानिवृत्त शिक्षकों इत्यादि द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है।
2	क्या यह बात सही है कि शिक्षक एवं शिक्षाकर्मी को सेवानिवृत्त होने के बाद भी पेंशन/उपादान अभी तक लागू नहीं किया गया है;	उक्त खण्ड-1 में अंकित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार मदरसा एवं संस्कृत विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षा कर्मियों की पेंशन/उपादान लागू करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों?	कंडिका-1 के क्रम में सम्पूर्ण मामले की समीक्षा कर कार्रवाई की जायेगी।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-28/2018 30/ रांची, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

श्रीमती विमला प्रधान, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–24 का प्रश्नोत्तर

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा अन्तर्गत जोगबहार पंचायत में कुडरूम सरना स्थल में कई ऐतिहासिक महत्व के भग्नावशेष, मूर्तियाँ प्राप्त हुई है;	1.	आंशिक स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि प्राचीन काल के अवशेष प्राप्त होने के बाद भी अब तक उक्त स्थल पर पुरातत्व विभाग द्वारा किसी भी प्रकार का संरक्षण कार्य नहीं करवाया गया है;	2.	सूचना एकत्र कराने के लिए पदाधिकारियों का दल उक्त स्थल पर भेजकर प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार कुडरूम सरना स्थल के प्राचीन अवशेष को संरक्षित करते हुए पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत समुचित कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार

पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/29/2018 220 /राँची, दिनांक 29.01.2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–896/वि०स०, दिनांक–20/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

विशेष

404

298
29/01/2018

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-49

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के हाई स्कूल एवं प्लस टू विद्यालयों में शिक्षकों की काफी कमी है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि शहरी क्षेत्र के विद्यालयों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों/पिछड़े जिलों के हाई स्कूल तथा प्लस टू स्कूलों में छात्र एवं शिक्षकों के अनुपात में काफी विषमता है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि राँची एवं खूँटी जिले में छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात 44:1 है वहीं पिछड़े जिले गढ़वा, पलामू एवं चतरा में यह अनुपात 207:1 है;	जिलों की स्थिति निम्नवत् है :-
4	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शिक्षकों की बहाली के साथ-साथ शहरी एवं ग्रामीण जिलों के विद्यालयों में छात्र एवं शिक्षकों के अनुपात में एकरूपता लाते हुए जिन पदाधिकारियों की वजह से इतनी असमानता बनी है उनके विरूद्ध कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति निम्न है :-

जिला का नाम	माध्यमिक स्तर पर छात्र संख्या	माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों की संख्या	माध्यमिक स्तर पर छात्र-शिक्षक अनुपात	+2 स्तर पर छात्र संख्या	+2 स्तर पर शिक्षकों की संख्या	+2 स्तर पर छात्र -शिक्षक अनुपात
राँची	10690	239	44:1	7417	181	41:1
खूँटी	2539	44	58:1	2528	32	79:1
चतरा	9321	34	274:1	5416	31	175:1
गढ़वा	12497	41	305:1	7015	53	132:1
पलामू	9208	84	110:1	5697	54	106:1

विद्यालय का स्तर	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति
माध्यमिक	23089	4347	18742
इंटर	5610	1643	3967

उक्त के क्रम में शिक्षकों की कुल रिक्त तथा विषयवार रिक्त पदों के कारण असंतुलन बना हुआ है। वर्त्तमान में राज्य सरकार एक स्थानान्तरण नीति के तहत् कार्य करने के लिये प्रयास, रिक्त पदों को भरने के साथ-साथ किया जा रहा है। वर्त्तमान में उच्च माध्यमिक विद्यालय में 3080 तथा माध्यमिक में 17864 पदों पर नियुक्ति प्रक्रियाधीन है।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-48/2018 298 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपिः-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

405

श्री अमित कुमार, स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-उत-29

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राँची जिला अन्तर्गत झारखण्ड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय में Diploma in Police Science की पढ़ाई होती है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि यहाँ से Diploma पूर्ण किये छात्रों को 2017 में Campus Selection कर G 4 S Security Company द्वारा Supervisor के पद पर चयन किया गया था, परन्तु कंपनी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को सुपरवाईजर के स्थान पर चेन्नई में एटीएम गार्ड के रूप में 5000/-रू0 मासिक वेतन पर काम दिया गया;	अंशतः स्वीकारात्मक है। G (4) S Secure Solution India Pvt. Ltd. के द्वारा 31 विद्यार्थियों का Supervisor के पद पर 16,000/- रू0 मासिक वेतन पर चयन किया गया था। चयनित अभ्यर्थियों में से केवल 08 ने चेन्नई में 01.11.2017 को योगदान दिया। सभी चयनित अभ्यर्थी नौकरी पूर्व प्रशिक्षण पूरा किये बगैर ही एक सप्ताह के अन्दर कम्पनी को बिना बताये वापस आ गये।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार उक्त कंपनी पर चयनित छात्रों से धोखाधड़ी करने के कारण दोषी पर कार्रवाई का विचार रखती है? हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों?	विश्वविद्यालय द्वारा कम्पनी से पूरी रिपोर्ट मांगी गयी है। कम्पनी से रिपोर्ट अबतक अप्राप्त है।

झारखण्ड सरकार
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
(उच्च शिक्षा निदेशालय)

ज्ञापांक 1/वि0स0-33/2018 221 / राँची दिनांक- 29.01.2017 /

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को पत्रांक-771 दिनांक-18.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29.1.18

सरकार के अवर सचिव,
उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,
झारखण्ड, राँची।

406

299
29/01/2018

श्री कुशवाहा शिवपूजन मेहता, मा0स0वि0स0 से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि0-25
क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पलामू जिलान्तर्गत हुसैनाबाद प्रखण्ड में हार्वे उच्च विद्यालय एवं हरिहरगंज प्रखण्ड में बालिका उच्च विद्यालय जो अंग्रेजों के समय से स्थापित है जिसे +2 विद्यालय में अभी तक परिणत नहीं किया गया है, जिसके कारण अनुमण्डल के विभिन्न विद्यालयों से मैट्रिक उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी उच्च शिक्षा से वंचित रह जाते हैं;	वस्तुस्थिति यह है कि हुसैनाबाद अनुमण्डल में अवस्थित राजकीयकृत हार्वे उच्च विद्यालय, जपला, हुसैनाबाद से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर राजकीयकृत बालिका +2 उच्च विद्यालय हुसैनाबाद एवं 5 किलोमीटर की दूरी पर प्रस्वीकृति प्राप्त शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज अवस्थित है। छतरपुर अनुमण्डल में अवस्थित बालिका उच्च विद्यालय, हरिहरगंज से 500 मीटर की दूरी पर राजकीयकृत सीता +2 उच्च विद्यालय अवस्थित है। उपरोक्त +2 उच्च विद्यालय एवं इंटर कॉलेजों में छात्र-छात्रायें उच्च शिक्षा के लिये नामांकित होते आ रहे हैं।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त वर्णित विद्यालयों को इसी वित्तीय वर्ष में प्लस -2 में परिणत करना चाहती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उक्त के क्रम में निर्धारित मानकों के क्रम में प्रश्नाधीन उच्च विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-19/2018 299 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

407

श्री फूलचन्द मंडल, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 30.01.2018 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–01 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री फूलचन्द मंडल, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद जिला के बरवाअड्डा हवाईअड्डा के निकट मेमको मोड़ जल मिनार के पास मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स धनबाद को वित्तीय वर्ष 2006–07 में स्वीकृति प्रदान की गई थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त योजना का द्वितीय पुनरीक्षण प्रशासनिक स्वीकृति अप्राप्त होने के कारण मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य अभी तक अधुरा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। संवेदक द्वारा बीच में ही अधुरा कार्य छोड़ देने के क्रम में दिनांक 07.04.2012 को तत्कालीन सचिव, पर्यटन, कला संस्कृति द्वारा पुनर्निविदा का आदेश दिया गया। नये अनुसूचित दर पर पुनर्निविदा हेतु योजना के पुनरीक्षण 6,92,02,600/– पर किया गया परन्तु जिला द्वारा अद्यतन नये अनुसूचित दर पर योजना के पुनरीक्षण की अधियाचना की गई है, जिस क्रम में कतिपय सूचनाएँ जिला से मांगी गई जो अद्यावधि अप्राप्त है, फलतः पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार वर्षो से लंबित मेगा स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स धनबाद का निर्माण कार्य पूर्ण कराना चाहती है यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	द्वितीय पुनरीक्षण हेतु जिला से कतिपय सूचनाओं की मांग की गई है। साथ ही योजना के स्थल अध्ययन हेतु एक विभागीय समिति का गठन किया गया है। जिला से याचित प्रतिवेदन प्राप्त होने तथा विभागीय स्तर से गठित समिति द्वारा स्थल अध्ययन प्रतिवेदन समर्पित करने के उपरान्त नियमानुकूल निर्णय लिया जायेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–01/2018 202 / राँची, दिनांक 27/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 44/वि०स० दिनांक 08.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

27/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

408

श्री मनोज कुमार यादव, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–27 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि हजारीबाग जिलान्तर्गत चौपारण प्रखण्ड के पंचायत दैहर के ग्राम मुड़िया में तमासीन जलप्रपात का ज्यादातर भाग पड़ता है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** तमासीन जलप्रपात का मुख्य भाग चतरा में पड़ता है।
2.	क्या यह बात सही है कि प्राकृतिक सौन्दर्य एवं पर्यटन कि दृष्टि से तमासीन जलप्रपात एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है, जिसमें प्रत्येक दिन हजारों पर्यटक आते है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक** यह चतरा क्षेत्र का एक पर्यटन स्थल है जहाँ चतरा एवं आस–पास के जिला के पर्यटक आते है।
3.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार तमासीन जलप्रपात को समुचित सौंदर्यीकरण कराकर एक अच्छे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में इस स्थल के विकास हेतु ₹ 38,45,900.00 की स्वीकृति दी गई थी जिससे तमासीन में शेड, शौचालय, रेलिंग, चबुतरा का निर्माण, पेयजल हेतु चापानल स्थापित कराया गया है तथा तमासीन नाला आर०सी०सी० पुलिया निर्माण, इस प्रकार स्थल पर पर्यटकों हेतु सभी आवश्यक सुविधाओं का निर्माण/व्यवस्था कराया गया है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/31/2018 208 /राँची, दिनांक 27/01/2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–897/वि०स०, दिनांक–20/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

Jharkhand Tourism

409

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री योगेन्द्र प्रसाद, म.स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-38

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि मुख्यमंत्री जनसंवाद केन्द्र Grievance No. 2015&21780, Complain dated 25.08.2015, Registration No. SMVAD/P/2015/11363 के आलोक में सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 में कक्षा 1 एवं 2 की जनजातीय भाषाऐं यथा-संथाली, मुण्डारी, हो, कुड़ुख एवं खड़िया की पाठ्य-पुस्तकों जिन्हें जुलाई 2017 तक संबंधित जिलों को उपलब्ध कराना था;	अस्वीकारात्मक। संबंधित जिलों में कक्षा 1 एवं 2 की जनजातीय भाषाओं यथा-संथाली, मुण्डारी, हो, कुड़ुख एवं खड़िया की पाठ्य-पुस्तक का मुद्रण कर सभी जिलोंमें वर्ष 2016–17 में आपूर्ति की गई है।
2.	क्या यह बात सही है कि कक्षा-1 एवं 2 की जनजातीय भाषाओं की पाठ्य-पुस्तकें संबंधित जिलों को अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है,	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उक्त पाठ्य-पुस्तकें संबंधित जिलों में उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	इस खण्ड का उत्तर उपरोक्त खण्ड में निहित है।

अपठनीय हस्ताक्षर 29/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-16/2018- 287 / राँची, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 678, दिनांक 16.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपठनीय हस्ताक्षर 29/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

410

293
29/01/2018

श्री आलमगीर आलम, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-45

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में संचालित 89 मॉडल स्कूलों में कक्षा छह से आठ तक के छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने का प्रावधान है तथा कक्षा आठ की बोर्ड परीक्षा 20/02/2018 से प्रारंभ होना है;	सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्य योजना के तहत् राज्य के सरकारी तथा सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा-1 से कक्षा-8 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है। मॉडल विद्यालय सरकारी विद्यालय है। अतः सर्व शिक्षा अभियान तथा राज्य योजना के तहत् अन्य विद्यालयों की भांति मॉडल विद्यालय में भी कक्षा-6 से कक्षा-8 तक नामांकित एवं अध्ययनरत् छात्र-छात्राओं को पाठ्य पुस्तक पूर्व वर्षों में उपलब्ध कराया जाता रहा है। वर्ष 2017-18 में डी.बी.टी. से अनुमान्य राशि स्थानान्तरित किया जाना है।
2	क्या यह बात सही है कि पाकुड़ में मॉडल स्कूल का संचालन मध्य विद्यालय, धनुषपूजा में किया जा रहा है, जबकि मॉडल स्कूल, पाकुड़ के भवन का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि माह नवम्बर, 2017 से मॉडल विद्यालय का संचालन नव निर्मित भवन में किया जा रहा है। पूर्व में मध्य विद्यालय धनुषपूजा में संचालित था।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार सभी मॉडल स्कूल के छात्रों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तक समय पर उपलब्ध कराने तथा मॉडल स्कूल, पाकुड़ का संचालन नवनिर्मित भवन में कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कबतक, नहीं तो क्यों ?	उक्त में स्थिति स्पष्ट की गयी है। राज्य सरकार की वर्तमान नीति के तहत् इंटर तक छात्राओं को पाठ्य पुस्तक तथा प्रारम्भिक कक्षा के सभी विद्यार्थी को मुफ्त पाठ्य पुस्तक दी जाती है।

29/1/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(I)-46/2018 293 रांची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

(511)

श्री शशि भूषण सामाड, स०वि०स० द्वारा दिनांक 30.01.2018 को पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न संख्या टन–26 का प्रश्नोत्तर:

	प्रश्न		उत्तर
	क्या मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–		मा० मंत्री, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार।
1.	क्या यह बात सही है कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अन्तर्गत प्रखण्ड चक्रधरपुर के ब्राहमणि पहाड़ के रोंडाबुरू में माँ ब्राहमणि मंदिर स्थित है, प्रसिद्ध माँ ब्राहमणि के दर्शन को काफी दूर से भी लोग आते है;	1.	**आंशिक स्वीकारात्मक** यह एक धार्मिक स्थल है जहाँ स्थानीय लोग पूजा–अर्चना के लिए जाते है।
2.	क्या यह बात सही है कि मूल–भूत सुविधाओं के अभाव में दर्शनार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	2.	**आंशिक स्वीकारात्मक**
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार माँ ब्राहमणि मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	3.	वर्तमान में प्रश्नाधीन स्थल एक धार्मिक स्थल है जो स्थानीय स्तर का पर्यटन स्थल है। इस स्थल की पर्यटकीय संभावना अत्यल्प है। भविष्य में स्थल की पर्यटन संभावना के अनुसार स्थल का विकास कार्य जिला पर्यटन संवर्द्धन समिति एवं विभाग की निधि की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग,

ज्ञापांक–पर्यटन/वि०स०/30/2018 212 /राँची, दिनांक 27/01/2018 /

प्रतिलिपि:– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–898/वि०स०, दिनांक–20/01/2018 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/18

सरकार के संयुक्त सचिव

(412)

श्री साधु चरण महतो, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 30.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–17 का उत्तर:–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री साधु चरण महतो, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावाँ जिले के चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र में फुटबॉल खेल काफी लोकप्रिय है ,तथा इस क्षेत्र के फुटबॉल खिलाड़ियों में काफी प्रतिभा है जो हाल ही में सम्पन्न हुए कमल क्लब के जिला व राज्यस्तरीय खेल में साबित भी हुई है, परन्तु चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने हेतु स्टेडियम का घोर अभाव पाया जाता है, जिससे खिलाड़ियों को उचित मैदान भी नहीं मिल पा रही है और फुटबॉल खेल का अपेक्षाकृत विकास भी नहीं हो पा रहा है;	आंशिक स्वीकारात्मक। चाण्डिल अनुमण्डल के चाण्डिल तथा ईचागढ़ में स्टेडियम विभाग द्वारा स्वीकृत एवं पूर्ण है। साथ ही विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में भी बड़े स्तर के मैदान उपलब्ध होते है, जिनका उपयोग सामान्यता स्थानीय खिलाड़ियों द्वारा किया जाता है।
3	यदि उपर्युक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में चाण्डिल अनुमण्डल क्षेत्र के ईचागढ़ प्रखण्ड के पाटपुर फुटबॉल मैदान, नीमडीह प्रखण्ड के झिमड़ी फुटबॉल मैदान, चाण्डिल प्रखण्ड के गांगुडीह फुटबॉल मैदान एवं कुकडु प्रखण्ड के बड़ा लपांग फुटबॉल मैदान को स्टेडियम के रूप में विकसित करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	चाण्डिल तथा ईचागढ़ में स्टेडियम निर्माण कार्य पूर्ण है। निमडीह तथा कुकडु में स्टेडियम निर्माण पर बजट उपलब्ध के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–23/2018 156 / राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 604/वि०स० दिनांक 15.01.18 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

413

श्री प्रदीप यादव, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–18 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि पूर्वी सिंहभूम जिले में 889 वर्ग कि0मी0 वनभूमि आज घटकर मात्र 639 वर्ग कि0मी0 रह गयी है ;	अस्वीकारात्मक। पूर्वी सिंहभूम जिला अन्तर्गत जमशेदपुर वन प्रमण्डल में 889.58 वर्ग कि0मी0 वनभूमि है।
(2) क्या यह बात सही है कि जिले के पदाधिकारी, पुलिस, कर्मचारियों एवं भू–माफियाओं ने मिलकर 250 वर्ग कि0मी0 वन भूमि बेच डाली है ;	अस्वीकारात्मक।
(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार उच्च स्तरीय जांचकर दोषियों को दंडित कर वन भूमि को वापस लेने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	प्रश्न नही उठता है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5/विधानसभा तारांकित प्रश्न–22/2018– 413 व0प0, राँची, दि०– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–675 दिनांक–16.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार/मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(आलोक कुमार) 29/01/2018
सरकार के उप सचिव

(414)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 30.01.2018 को पृच्छित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–09 का उत्तर–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री भानु प्रताप शाही, मा० सदस्य विधान सभा	*श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक प्रखण्ड में खिलाड़ियों के लिए स्टेडियम का निर्माण किया जायेगा;	अस्वीकारात्मक। मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग के पत्रांक 608 दिनांक 20.04.2012 द्वारा सभी विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम एक स्टेडियम निर्माण का निदेश प्राप्त है।
2	क्या यह बात सही है हमारे विधान सभा क्षेत्र के नगर उटारी अनुमंडल मुख्यालय एवं भवनाथपुर प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण अभी तक नहीं हो सका है;	अस्वीकारात्मक। नगर उटारी के राजकीय उच्च विद्यालय, चितविश्राम के प्रांगण में एक स्टेडियम वित्तीय वर्ष में 2007–08 में स्वीकृत व निर्मित है। भवनाथपुर के भवनाथपुर उच्च विद्यालय के प्रांगण में एक स्टेडियम वित्तीय वर्ष 2007–08 मे स्वीकृत व निर्मित है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार इसी वित्तीय वर्ष में नगर उटारी अनुमण्डल मुख्यालय एवं भवनाथपुर प्रखण्ड मुख्यालय में स्टेडियम का निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उत्तर कंडिका–2 में सन्निहित है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–09/2018 162 / रांची, दिनांक 23/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 415/वि०स० दिनांक 14.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

415

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

डॉ. इरफान अंसारी, स.वि.स. से प्राप्त तारंकित प्रश्न संख्या- शि.-40

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि: -	**डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिलान्तर्गत कार्यरत पारा शिक्षकों को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिलने से भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है;	वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार से स्वीकृत बजट के अनुरूप राशि उपलब्ध नहीं होने के कारण माह सितम्बर 2017 तक ही मानदेय का भुगतान किया गया है।
2.	क्या यह बात सही है कि सरकार ने शिक्षकों का मानदेय हर माह ससमय देने का निर्णय लिया है;	स्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पारा शिक्षकों का बकाया मानदेय का भुगतान के साथ नियमित रूप से मानदेय देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तकए नहीं तो क्यों?	वस्तुस्थिति यह है कि भारत सरकार की केन्द्र प्रायोजित योजना सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत यह राशि विकलनीय है। भारत सरकार से दो किस्त में राशि प्राप्त होती है। द्वितीय किस्त प्राप्त अद्यतन नहीं हुई है।

अठ्ठाहेई
29/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/92- 14/2018-285 / राँची, दिनांक 29/1/ 2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 679, दिनांक 16.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अठ्ठाहेई
29/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

416

श्री चम्पाई सोरेन, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–वन–25 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि सरायकेला–खरसावां जिलान्तर्गत गम्हारिया प्रखण्ड के रघुनाथपुर, रतनपुर में नीलांचल आयरन पावर लिमिटेड कंपनी अवस्थित है ;	स्वीकारात्मक।
(2) क्या यह बात सही है कि वर्णित कंपनी से निकलने वाली धुआं के साथ डस्ट के कारण प्रदूषण से पर्यावरण को भारी क्षति हो रही है एवं आम जनता को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है ;	क्षेत्रीय पदाधिकारी, जमशेदपुर द्वारा दिनांक–25.01.2018 को निरीक्षण के दौरान इकाई से डस्ट का उत्सर्जन होते हुए पाया गया।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित कंपनी प्रदूषण नियंत्रण संबंधी मानकों का समुचित अनुपालन नहीं कर रहे है ;	स्वीकारात्मक।
(4) यदि उपरोक्त खण्डो का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार प्रदूषण नियंत्रण हेतु खण्ड–1 में वर्णित कंपनी के विरूद्ध कारवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	क्षेत्रीय कार्यालय, जमशेदपुर के ज्ञापांक–54, दिनांक–25.01.2018 द्वारा इकाई में स्थापित प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था को समुचित रूप से क्रियान्वयन होने तक बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

झारखण्ड सरकार
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–35 / 2018– 417 व0प0, राँची, दि०– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–1014 दिनांक–23.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/01/2018
(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

417

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–30.01.2018 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–टन–28 का उत्तर :–

प्रश्न	उत्तर
(1) क्या यह बात सही है कि साहेबगंज का राजमहल विधान सभा क्षेत्र गंगा किनारे अवस्थित होने के साथ ही पौराणिक एवं ऐतिहासिक धरोहर से परिपूर्ण है ;	स्वीकारात्मक ।
(2) क्या यह बात सही है कि जिला के प्रखण्ड क्रमशः उधवा, राजमहल एवं साहेबगंज सदर अन्तर्गत 100 कि0मी0 क्षेत्र से भी वृहद गांगेय क्षेत्र में डॉलफिन पाये जाते है ;	स्वीकारात्मक । झारखण्ड में गंगा नदी की कुल लम्बाई 83 कि0मी0 है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड 2 में वर्णित नदी में "डॉलफिन वर्ल्ड सेंक्चुयरी" की मांग स्थानीय द्वारा पर्यटन के दृष्टिकोण से वर्षों से स्थापित करने की मांग की जाती रही है ;	झारखण्ड राज्य में पड़ने वाली गंगा नदी के हिस्से को 'डाल्फिन आश्रयणी' घोषित करने हेतु एक प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची द्वारा विभाग को प्राप्त हुआ है। वन्य प्राणी अधिनियम, 1972 की धारा–18 के तहत् वन्य प्राणी आश्रयणी घोषित करने के पूर्व स्थानीय निवासियों को नदी जल पर अधिकार, मतस्य आधारित आजीविका एवं डाल्फिन के Prey Base, गंगा में पोत वाहन की योजना, नदी जल प्रबंधन की दूरगामी योजना इत्यादि पर प्रभाव की समीक्षा की जानी है। समीक्षोपरान्त निर्णय लिया जायेगा।
(4) यदि उपरोक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड (2) में वर्णित स्थलों पर "डॉलफिन वर्ल्ड सेंक्चुयरी" की स्थापना पर्यटन की दृष्टिकोण से कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक नहीं तो ?	

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

ज्ञापांक–5 / विधानसभा तारांकित प्रश्न–40 / 2018–418 व0प0, राँची, दि०– 29/01/2018

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा, रांची को उनके ज्ञाप सं0–930 दिनांक–20.01.2018 के प्रसंग में अतिरिक्त 200 प्रतियों के साथ / उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी (संसदीय कार्य) विभाग, झारखण्ड, रांची / माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, झारखण्ड सरकार / मुख्य सचिव के सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

29/01/2018

(आलोक कुमार)
सरकार के उप सचिव

419

302
29/1/2018

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, मा०स०वि०स० से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या-शि-48

क्या माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पिछले वर्ष कक्षा 8 में पढ़ने वाले सामान्य श्रेणी के लगभग 30 फीसदी छात्र-छात्राएं जिनकी उपस्थिति 80 फीसदी से ज्यादा होने के बावजूद भी साइकिल नहीं मिलने की वजह से उन बच्चों के मन में हीन भावना का संचार एवं शिक्षा विभाग के प्रति नाकारात्मक सोच उत्पन्न हुई है;	अस्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प संख्या 162 दिनांक 29.01.2015 के अनुसार रुपया 3000/- संबंधित छात्र-छात्राओं के खाते में डी. बी.टी. के माध्यम से स्थानान्तरित किया जाता है। जिलों से प्रतिवेदन प्राप्त किया गया है। जिलों को कुल राशि रुपया 365.58 लाख (तीन करोड़ पैंसठ लाख अंठावन हजार) कुल 12193 छात्र-छात्राओं हेतु आवंटित किये गये हैं। इस राशि के विरुद्ध रुपया 279.96 लाख (दो करोड़ उन्यासी लाख छियानबे हजार) 9332 छात्र-छात्राओं के खाते में स्थानान्तरित कर दिया गया है। शेष अर्हतादारी के खाते में शीघ्र राशि स्थानान्तरित करने हेतु निदेश दिये गये हैं।
2	क्या यह बात सही है कि गढ़वा जिला समेत कई जिलों में चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के लिए आवंटित राशि की निकासी तक नहीं हुई है;	जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के प्रतिवेदन के अनुसार कुल राशि रुपया 6.75 लाख (छ लाख पचहत्तर हजार) 225 बच्चों के खाते में स्थानान्तरित कर दी गयी है। शेष छात्र-छात्राओं को राशि उपलब्ध कराने हेतु जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा रही है।
3	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए योग्य बच्चों को साईकिल उपलब्ध कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	जिला शिक्षा पदाधिकारी, गढ़वा के साथ-साथ अन्य जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को भी योजना की शेष बची राशि को अर्हतादारी छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराने हेतु निदेशित किया गया है।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक-7/स.1वि.(i)-47/2018 302 राँची, दिनांक 29/01/2018

प्रतिलिपि:-अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/01/18
सरकार के अवर सचिव।

420

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

श्री मनीष जायसवाल, स.वि.स. से प्राप्त तारांकित प्रश्न संख्या- शि.-47

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-	उत्तर डॉ. नीरा यादव, माननीय मंत्री, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य के मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों के कुल 3226 स्वीकृत पदो के विरूद्ध कार्य बलों की संख्या-226 प्रधानाध्यापक मात्र ही पदस्थापित है जिसमें हजारीबाग, चतरा, सरायकेला, लोहरदगा, साहेबगंज एवं पाकुड़ आदि जिलों में एक भी प्रधानाध्यापक नहीं है,	आंशिक स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि राज्य गठन से लेकर अब तक खण्ड-1 में वर्णित प्रधानाध्यापकों के प्रोन्नतियों के लंबित रहने एवं प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में त्रुटी के कारण ही अहर्ताधारी शिक्षकों को उक्त पद पर प्रोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ा है,	अस्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित पदों पर अस्थाई व्यवस्था के तहत् प्रभारी प्रधानाध्यापक होने के कारण स्कूल प्रबंधन से संबंधित नीतिगत निर्णय लेने में काफी कठिनाई होती है,	वस्तुस्थिति यह है कि वैकल्पिक व्यवस्था के अंतर्गत वरीयतम सहायक शिक्षकों को प्रधानाध्यापक का प्रभार दे कर विद्यालय का प्रबंधन सुचारूरूप से संचालित किया जा रहा है।
4.	यदि उपरोक्त खण्डों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित स्वीकृत पदों पर अर्हताधारी शिक्षकों को चालू वित्तीय वर्ष में ही प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वस्तुस्थिति यह है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा एल.पी.ए. संख्या-540/2017 तथा 549/2017 में पारित न्याय निदेश के आलोक में ग्रेड-4 में दी गई प्रोन्नति की समीक्षा प्रक्रियाधीन है। यह भी उल्लेखनीय है कि डब्लू.पी.(एस.) संख्या-3792/2016 " अमरेन्द्र कुमार सिंह बनाम राज्य सरकार" में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश द्वारा आरक्षण अधिनियम 2001 की कंडिका-4(2) (a) स्थगित है, जिसकेनिष्पादन के उपरांत ही प्रोन्नति पर विचार संभव हो सकेगा।

अवधेश
29/1/18
सरकार के अवर सचिव

झारखण्ड सरकार

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

ज्ञापांक 13/व2-34/2018-297 / राँची, दिनांक 29/1/2018

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 854, दिनांक 19.01.2018 के प्रसंग में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अवधेश
29/1/18
सरकार के अवर सचिव

Khurshid

(421)

श्री योगेश्वर महतो, मा०स०वि०स० द्वारा विधान सभा अधिवेशन में दिनांक 30.01.2018 को पूछित तारांकित प्रश्न संख्या –टन–03 का उत्तर:–

प्रश्नकर्त्ता	उत्तर दाता
श्री योगेश्वर महतो, मा० सदस्य विधान सभा	श्री अमर कुमार बाउरी माननीय मंत्री पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि पंजाब/केरल इत्यादि राज्यों में स्पोर्ट कोटा से योग्यता के आधार पर राज्य स्तरीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय नौकरियों में प्रमुखता से नियोजित किया जाता है;	झारखण्ड राज्य में स्पोर्ट्स कोटा के तहत खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना सं० 56, दिनांक 12.07.2014 द्वारा गठित झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली 2014 एवं संशोधित अधिसूचना सं० 178 दिनांक 18.06.2015 में निहित प्रावधानों एवं शर्तों के अंतर्गत झारखण्ड राज्य के खिलाड़ियों को योग्यता के अनुसार नियुक्ति की जाती है।
2	क्या यह बात सही है कि बोकारो जिला के जरीडीह प्रखण्ड अंतर्गत गणपति नगर, धाँधडीह निवासी राजेश महतो को द्वितीय विश्व मैक (MAC) गेम्स, नई दिल्ली–2016 में मार्शल आर्ट्स में तीसरा स्थान (काँस्य पदक) प्राप्त है, इस तरह ये कई राज्यस्तरीय/राष्ट्रीय स्तर के खेलों में कई पदक एवं पुरस्कार प्राप्त कर झारखण्ड राज्य का नाम रौशन किए है मगर, इन्हें अब तक राज्य सरकार द्वारा नियोजित नहीं किया गया है;	झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली के अनुसार भारतीय ओलम्पिक संघ द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों में योग्यता प्राप्त खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स कोटा के तहत नियुक्ति की जाती है। विश्व मैक (MAC) गेम्स आमंत्रण गेम्स है, जो मान्यता प्राप्त नहीं है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार झारखण्ड के उक्त होनहार खिलाड़ी के जीविकोपार्जन के लिए राज्यस्तरीय नौकरी देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों ?	झारखण्ड खिलाड़ी (सीधी नियुक्ति) नियमावली के आलोक में प्राप्त आवेदनों पर अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है।

झारखण्ड सरकार
पर्यटन, कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : पर्य०/वि०स०–03/2018 157 / राँची, दिनांक 22/01/2018

प्रतिलिपि: अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं० 102/वि०स० दिनांक 09.01.2018 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/1/18
सरकार के संयुक्त सचिव
पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।